



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102022-239326
CG-DL-E-04102022-239326

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4461]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 3, 2022/आश्विन 11, 1944

No. 4461]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 3, 2022/ASVINA 11, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2022

का.आ. 4669(अ).—यतः, मै. एल एंड टी रियलटी डेवलपर्स लिमिटेड, ने कर्नाटक राज्य में बेंगलुरु जिले के ब्यातरयानपुरा गाँव, जीकेवीके के बगल में बेल्लारी रोड, एल एंड टी कैंपस में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं (आईटी/आईटीईएस) क्षेत्र हेतु एक विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उनको उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन एवं रखरखाव हेतु उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (10) के अंतर्गत दिनांक 24 अगस्त, 2022 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार, एतद्वारा उक्त स्थान के 2.3612 हेक्टेयर के नीचे दी गई तालिका में दिए गए सर्वेक्षण संख्याओं के क्षेत्रों को अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

तालिका

क्र. सं.	गाँव का नाम	सर्वेक्षण सं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	ब्यातरयानपुरा गाँव	94/1 (भाग)	0.1147
2.		94/2 (भाग)	0.2607
3.		94/3 (भाग)	0.0019
4.		95/1 (भाग)	0.1914
5.		95/2 (भाग)	0.3740
6.		96/1 (भाग)	0.2648
7.		104/1 (भाग)	0.1096
8.		104/2	0.4343
9.		104/3	0.2627
10.		104/4	0.3471
कुल			2.3612

और अतः, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के लिए एक समिति, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं, अर्थात्-

1.	विशेष आर्थिक जोन का विकास आयुक्त	अध्यक्ष, पदेन
2.	निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग या उसका नामिती जिसका स्तर अवर सचिव, भारत सरकार से कम नहीं होगा	सदस्य, पदेन
3.	विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले क्षेत्रीय संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक	सदस्य, पदेन
4.	विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले सीमा-शुल्क आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त अथवा उनका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा	सदस्य, पदेन
5.	विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा उसका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा	सदस्य, पदेन
6.	निदेशक (बैंकिंग), वित्त मंत्रालय, बैंकिंग प्रभाग, भारत सरकार	सदस्य, पदेन
7.	राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले दो अधिकारी जिनका स्तर संयुक्त सचिव से कम नहीं होगा	सदस्य, पदेन
8.	जोन के विकासकर्ता का प्रतिनिधि	विशेष, आमंत्रिती

और यतः, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम 2005 (2005 का 28) की धारा 53 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा दिनांक 03 अक्टूबर, 2022 को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है जिस तारीख से उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन को सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के अंतर्गत अंतर्देशीय कंटेनर डिपो माना जाएगा।

[फा. सं. के-43016(11)/5/2022-एसईजेड]
विपुल बंसल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SEZ DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2022

S.O. 4669(E).—Whereas, M/s. L & T Realty Developers Limited, has proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology Enabled Services (IT/ITES) at L & T Campus, Bellary Road, Byatarayanapura Village, Next to GKVK, Bengaluru District in the State of Karnataka;

AND, WHEREAS, the Central Government is satisfied that requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act, and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under sub-section (10) of section 3 of the said Act for development, operation and maintenance of the above Special Economic Zone on 24th August, 2022;

NOW, THEREFORE, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, hereby notifies the 2.3612 hectares area comprising the Survey numbers and the area given below in the table, namely: -

Table

Sl. No.	Name of Village	Survey No.	Area (in Hectares)
1.	Byatarayanapura Village	94/1 (Part)	0.1147
2.		94/2 (Part)	0.2607
3.		94/3 (Part)	0.0019
4.		95/1 (Part)	0.1914
5.		95/2 (Part)	0.3740
6.		96/1 (Part)	0.2648
7.		104/1 (Part)	0.1096
8.		104/2	0.4343
9.		104/3	0.2627
10.		104/4	0.3471
Total			2.3612

AND, THEREFORE, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the above Special Economic Zone for the purposes of section 14 of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely:-

1.	Development Commissioner of the Special Economic Zone	Chairperson ex officio;
2.	Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce or his nominee not below the rank of Under Secretary to the Government of India	Member ex officio;
3.	Zonal Joint Director General of Foreign Trade having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone	Member ex officio;
4.	Commissioner of Customs or Central Excise having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner	Member ex officio;
5.	Commissioner of Income Tax having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner	Member ex officio;
6.	Director (Banking) in the Ministry of Finance, Banking Division, Government of India	Member ex officio;
7.	Two officers, not below the rank of Joint Secretary, to be nominated by the State Government	Member ex officio;
8.	Representative of the Developer of the zone	Special invitee

AND, THEREFORE, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 53 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby appoints the 03rd October, 2022 as the date from which the above Special Economic Zone shall be deemed to be Inland Container Depot under section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[F. No. K-43016(11)/5/2022-SEZ]

VIPUL BANSAL, Jt. Secy.